न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 16/2023 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/8

उनवान

1. श्रीमती खेमी पत्नि कालु मीणा, आयु बालिग
2. श्रीमती केसरी पुत्री कालु मीणा, आयु बालिग
3. श्रीमती देवी बाई पुत्री कालु मीणा, आयु बालिग
4. श्री दौलतराम पिता कालु मीणा, आयु बालिग
5. श्री भेरूलाल पिता कालु मीणा, आयु बालिग
6. श्री विजय कुमार पिता कालु मीणा आयु नाबालिग, जरिये संरक्षक माता श्रीमती खेमी पत्नि कालु मीणा, आयु बालिग

सभी निवासीयान चाटपुर, तहसील, सलूम्बर, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

– प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्री रूपा पिता उदा पटेल, उम्र बालिग, निवासी खेराड, तहसील सलूम्बर, हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः–29/10/2025

उपस्थितिः श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता– विपक्षी

प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण के पिता एवं पति स्व. कालु पिता लखमा मीणा के पिता लखमा पिता वेसा मीणा के 05 पुत्र कालु रतना, भग्गा, मेरा व रूपा हुये तथा लखमा पिता वेसा मीणा की मृत्यु के बाद संवत 2062 से 2065 के राजस्व रिकार्ड में ग्राम चाटपुर में लखमा के उक्त पाचों पुत्रों के नाम नामान्तरण जारी हुआ इस भूमि पर लखमा के जीवन काल से ही प्रार्थीगण का पैतृक करीब 100 वर्षो का कब्जा है एवं इसी अनुसार पांच अलग अलग बटवाडे खाता सख्या 62 नया आराजी नम्बर 499/0.17, 501/0.12, 502/0.05 कुल किता 03 रकबा 0.34 हैक्टेयर है। उक्त तीनों आराजीयात में लखमा के पाचो पुत्र का बराबर–बराबर बंटवाडा किया गया एवं बंटवाडे से प्रार्थी से 1 के पति स्व. कालु मीणा के खाते में आराजी नम्बर 499/1 रकबा 0.07 हेक्टर भूमि दर्ज हुई, जिस पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उक्त तीनों आराजीयात पर लखमा के पांचो पुत्रों ने अपने अपने कब्जे अनुसार बैठे हुये हैं जिनकी कुछ भूमि गांव में भी है जिसे देखते हुये पाचो भाईयों ने समझकर बंटवाडा किया है। आराजी नम्बर 499/1 के वर्तमान आराजी नम्बर 638/499 है जो वर्तमान में प्रार्थीगणो के खाते में दर्ज है। जिनके एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थीगणों के उक्त खातेदारी कब्जे काश्त के आराजीयात 638/499 में विपक्षी जबरन कोट का निर्माण कर कब्जा करने पर आमादा है। जिसे प्रार्थीगणों ने रोकने का प्रयास किया तो विपक्षी ने आमादा झगडा फसाद होकर प्रार्थीगणों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और जबरन कोट का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है इस जमीन के पिछे प्रार्थीगणों का मकान बना हुआ है जहां से मुख्य सडक से आने जाने का रास्ता भी एकमात्र यही भूमि है जिसे इस भुमि पर कोट कर रास्ता अवरूद्ध करने का प्रयास कर रहे है। वाद हेतुक सर्वप्रथम दिनांक 20–02–2023 को उत्पन्न हुआ तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज होकर एकमात्र खातेदार काश्तकार है जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन एव अपुरणिय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं विपक्षी के विरूद्ध है। अतः आप श्रीमान से सानुरोध निवेदन है कि मुल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की क्रम सं. 2 व 3 वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी स्वामित्व के आराजी नम्बर 638/499 पर विपक्षी किसी प्रकार से अतिक्रमण, कब्जा नहीं करे. कोई कच्चा, पक्का निर्माण नहीं करें और ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो, परिजनों, एजेन्ट इत्यादी से करावे।

प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गेबीलाल मेहता हाजिर आये। आदेशिका दिनांक 27–03–2023 को प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा जारी की गई तथा विपक्षी को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावंद किया गया। विपक्षी को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से आदेशिका दिनांक 13–08–2024 को विपक्षी के जवाब का अवसर बन्द किया गया तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए किया कि कि वे अपने पूर्वजों से विवादित भूमि खसरा संख्या 499, 501, 502 एवं 638/499 पर कब्जाधारी हैं, जो कि लगभग 100 वर्षो से उनके परिवार के उपयोग में है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि पर कोट निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अतः मुल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की क्रम सं. 2 व 3 वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी स्वामित्व के आराजी नम्बर 638/499 पर विपक्षी किसी प्रकार से अतिक्रमण, कब्जा नहीं करे. कोई कच्चा, पक्का निर्माण नहीं करें और ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो, परिजनों, एजेन्ट इत्यादी से करावे।

विपक्षीगण ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा बताए गए खसरा नंबरों पर उनका कोई अधिकार या कब्जा नहीं है उक्त भूमि पूर्व खातेदारों द्वारा विधिवत विक्रय–पत्र से विक्रय की जा चुकी है। मौके पर भूमि आबादी दर्ज है जिसे श्री कमल कुमार जैन ने जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र मौजा चाटपुर के वर्तमान आराजी नं. 655/501 व 658/502 खुर्द किता 2 कुल रकबा 0.0650 हेक्टर किस्म आबादी श्री धन्ना पिता नाथा मीणा से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 08–02–2023 को क्रय कर रखी है। उक्त दोनो आराजीयात को श्री धन्ना ने दिनांक 20–01–2023 को आबादीय संपरिवर्तन कराई है जिस पर मौके पर चारो तरफ कच्चा तथा पक्का कोट वर्षो पूर्व बना हुआ है। वादीगण के वर्तमान आराजी नं. 638/499 से प्रतिवादी का कोई सरोकार नहीं है। मौके पर प्रतिवादी किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा है, ओर न ही कोई बाउण्ड्रीवाल बना रहा है, क्योकि भूमि प्रतिवादी की है ही नहीं, मौके पर एकमात्र स्वामी, मालिक, काबिज कमल

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कुमार जैन है इसलिये वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद आधारहिन व कुसंयोजित पक्षकार के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने कोई शीर्षक दस्तावेज (title document) या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनका स्वामित्व सिद्व हो सके। प्रार्थीगण द्वारा न तो न्यायालय शुल्क ठीक से जमा किया गया है और न ही कोई साक्ष्य जिससे यह सिद्व हो कि प्रतिवादी का निर्माण उनकी भूमि पर है। प्रार्थीगण का प्रार्थना आधारहिन व बिना किसी वाद कारण के खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे ।

बहस मनन की गई। न्यायालय ने प्रार्थीगण एवं विपक्षी दोनों पक्षों की दलीलें, प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिलेखों पर विचार किया। प्रार्थीगण ने पुराने एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी)प्रस्तुत किए हैं। मौजा चाटपुर पटवार हल्का खैराड खाता संख्या 8 आराजी नम्बर 638 / 499 रकबा 0.07 हैक्टेयर कृषि भूमि जो वर्तमान मे प्रार्थीगण के खाते दर्ज अंकित हैं। दूसरी ओर, विपक्षी द्वारा अपने कथनो के समर्थन मे कोई विक्रय–पत्र (sale deed) अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी का स्वामित्व साबित हो सके। प्रार्थीगण का यह कथन कि विपक्षी द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कोट निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है लेकिन सम्पूर्ण पत्रावली अवलोकन से यह स्पष्ट नही होता है कि विपक्षी ने प्रार्थीगण की आराजी मे किसी प्रकार का कोट निर्माण कार्य किया हो केवल मौखिक कथनो से प्रार्थीगण के उक्त तथ्यो को कोई बल नही मिलता है। आराजी नम्बर 638 / 499 रकबा 0.07 हैक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान मे प्रार्थीगण के खाते दर्ज अंकित हैं। अतः प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन पाया गया। यदि दौराने वाद प्रार्थीगण की आराजी मे विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण अथवा निर्माण कार्य किया जाता है तो प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति से भी इन्कार नही किया जा सकता है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायालय न्यायाहित मे उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि विपक्षी मौजा चाटपुर पटवार हल्का खैराड तहसील सलूम्बर में प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 638 / 499 रकबा 0.07 हैक्टेयर कृषि भूमि मे किसी प्रकार से अतिक्रमण नही करे एवं ना ही किसी प्रकार का कोई कच्चा अथवा पक्का निर्माण कार्य करे। इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 29/10/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर